विदेशी मुद्रा गतिविधियां

अप्रैल 2010

i) समुद्रपारीय निवेश - उदारीकरण

भारतीय कंपनियों को स्वचालित मार्ग के तहत, सह-स्वामित्व आधार पर सबमरीन केबल सिस्टम्स निर्माण करने तथा उसके रखरखाव के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय परिचालकों के साथ सहायता संघ में सहभागी होने के लिए अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा प्रेषण के लिए अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दें कि भारतीय कंपनी ने इंटरनैशनल लॉंग डिस्टन्स सर्विसेज स्थापित करने, लगाने, परिचालन और रखरखाव के लिए दूरसंचार विभाग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया है और इस प्रकार के निवेश को अनुमोदित करनेवाले बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की है। तदनुसार, सहायता संघ में निवेश करनेवाली भारतीय संस्थाओं द्वारा इन लेनदेनों की रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक को 1 जून 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.68 में निर्धारित फॉर्मेट में की जाए और विशिष्ट (यूनीक) पहचान संख्या के आबंटन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों द्वारा 24 फरवरी 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.36 के अनुसार इनकी रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की जाए।

इस प्रकार के सभी निवेश समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 [विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004] के विनियम 15 (iii) में निर्धारित किये गये अनुसार रिपोर्टिंग आवश्यकता के अधीन होंगे।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 45
दिनांक 01 अप्रैल 2010]

ii) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान व्यापार समझौते

29 मार्च 2010 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.43 के अनुसार 11 जनवरी 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 65.29 रुपये नियत किया गया।

08 मार्च 2010 से इसमें एक और संशोधन हुआ है जिसके अनुसार 11 मार्च 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 63.0381 रुपये नियत किया गया है।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं. 46
दिनांक 08 अप्रैल 2010]

iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा नकदी खंड में लेनदेन के लिए संपार्श्विक बनाये रखना

वर्तमान में, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को डेरिवेटिव खंड में उनके लेनदेनों के लिए नकदी और भारत में 'एएए' रेटिंग वाली विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में संपार्श्विक के रूप में रखने की अनुमति है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइएस) को बाजार के नकदी खंड में उनके लेनदेनों के लिए संपार्श्विक रखना आवश्यक है। भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ परामर्श करके विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइएस) को भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में बाजार के नकदी खंड में लेनदेन करने के लिए नकदी के अलावा देशी सरकारी प्रतिभूतियां (समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 आरबी की अनुसूची 5 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा अधिगृहीत और समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनिर्दिष्ट समग्र सीमाओं की शर्त पर; वर्तमान की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डॉलर) और एएए रेटिंग वाली विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां संपार्श्विक के रूप में रखने की अनुमति दी गई है। तथापि, बाजार के नकदी और डेरिवेटिव खंडों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों के क्रॉस मार्जिनिंग (विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बाजार के नकदी खंड में अपने लेनदेनों के लिए मार्जिन के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां) की अनुमति नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इस संबंध में परिचालनात्मक दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जाएंगे।

डेरिवेटिव खंड में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लेनदेनों के लिए संपार्श्विक संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 47
दिनांक 12 अप्रैल 2010]

iv) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान व्यापार समझौते

8 अप्रैल 2010 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.46 के अनुसार 11 मार्च 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 63.0381 रुपये दर्शाया गया था।

6 अप्रैल 2010 से इसमें एक और संशोधन हुआ है जिसके अनुसार 09 अप्रैल 2010 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 60.897378 रुपये नियत किया गया है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 48
दिनांक 26 अप्रैल 2010]